

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/प्रो-05-03/14...../राँची, दिनांक

—: आदेश :—

श्री नवल किशोर सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता (I.D.-J-5850), तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट को दिनांक-16.07.18 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अंतर्गत कृत अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह को विभागीय आदेश सं०-1726 दिनांक-19.06.03 के द्वारा संसूचित दण्डादेश के कुप्रभाव के कारण विभागीय आदेश सं०-742 दिनांक-02.04.07 के द्वारा दिनांक-01.04.04 के प्रभाव से प्रदत्त द्वितीय ए०सी०पी० एवं विभागीय आदेश सं०-1650 दिनांक-12.05.09 के क्रमांक-69 अंतर्गत सम्पुष्टि आदेश को संशोधित करते हुए दिनांक-01.04.06 के प्रभाव से वेतनमान 10000-15200 में द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाता है।

2. पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी० के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हें प्रदान किया गया हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली कर ली जाएगी।
3. विभागीय आदेश सं०-742 दिनांक-02.04.07 एवं सम्पुष्टि आदेश सं०-1650 दिनांक-12.05.09 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
4. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3313

राँची, दिनांक :- 03/10/18

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/10/18

सरकार के अवर सचिव।